

# **असाधारण** EXTRAORDINARY

NITY II—TYR 3—TY-TYR (1)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

श्रीधकार से प्रकारिका PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 129]

नई किस्ती, बुधवार, मार्च 31, 1993/बैज 10, 1915 NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 31, 1993/CHAITRA 10, 1915

इस भाग में भिन्म पूछ संस्था दी जाती है जिससे कि यह असग संकलन के रूप में

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) ग्रिधसुचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1993

सा.का.िन. 354 (ग्र):- केन्द्रीय सरकार महापत्तन न्यास ग्रिधिनियम, 1963 (1963 का 38) की घारा 3 की उप-धारा 6 के साथ पठित उपधारा 1 द्वारा प्रवस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित तालिका में कम संख्या 1 से 11 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को जवाहर लाल नेहरू पस्तन के न्यासी मंडल में न्यासी नियुक्त करती है तथा उक्त तालिका में कम सं. 12 से 15 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त मंडल में चुने गए न्यासियों के रूप में ग्रिधिसूचित करती है:-

तालिका

3

GD. NO. D.L.-33004/93

1. ग्रध्यक्ष

1

- 2. उपाध्यक्ष
- 3. सचिव शहरी विकास विभाग महाराष्ट्र सरकार<sup>°</sup>
- 4. सीमा शुल्क ग्रायुक्त न्हावा श्रेवा समुद्र पत्तन, पत्तन यूरान

महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए सीमा शुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए

<u>1</u> 1	3
5. संयुक्त सचिव (पत्तन) जल-भूतल परिवहन मंत्रालय	जल-भूतल परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए
6. फ्लैंग श्रफसर कमान, महाराष्ट्र क्षेत्र के चीफ स्टाफ प्रधिकारी	रक्षा सेवाओं (नौसेना) का प्रतिनिधित्व करने के लिए
<ol> <li>प्रमुख कृतायात कांडा अधीकक मध्य रेक्के, कम्बई</li> </ol>	भारतीय रेल का प्रतिनिधित्व करने के लिए
<ol> <li>प्रमुख ग्रीधकारी वाणिज्यिक नौबहन विभाग, वृद्ध ।</li> </ol>	वाणिज्य नौवहन विभाग बम्बई का अतिनिधित्त्र करने के लिए
9. डा. ग्रान्ती जी पटेल	पत्तन के श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिख्
10. श्री जय प्रकाश एच सार्वत	पत्तन के श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के सिए
11. प्रबंध निर्देशक सिटी एंड इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लि. (सिडको)	सिड-को का प्रतिनिधित्व करने के लिए
12. श्री निर्मश शाह	बम्बई कस्टम हाउस एजेंट एसोसिएशन, बम्बई का प्रतिनिधित्व करने के लिए
13. श्री दिनेश के लाल	बम्बई चैम्बर आप्ता कामर्स एंड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए
14. श्री वैशनव पुरी	बम्बई-न्हावा शेवा शिप इन्टर-मोडल एजेंट्स एसो. का प्रति- निधित्व करने के लिए
15. बी एस. पी. मोहिल्ले	भारतीय राष्ट्रीय जहाज मालिक संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1993 से लागू होगी।

[फाइल सं.पीं.टी.-18011/1/91-पी टी.] ग्रशोक जोशी, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (Ports Wing)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 31 March, 1993

G.S.R. 354 (E):—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with Sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial numbers 1 to 11 in the Table below to be Trusteeson the Board of Trustees for the Port of Jawahardal Nehru and notifies the persons mentioned against serial numbers 12 to 15 in the said Table as elected to be Trustees on the said Board namely:—

Time to elected to be rivoted in the said board	ABLE .
1 2	3
1. Chairman	
2. Deputy Chairman	
3. Secretary,	Representing State Govt. of Maharashtra.
Urban Development Deptt. Government of Maharashtra.	
4. Collector of Customs.  Nhaya Sheva Sea Port, Port Uran.	Representing Deptt. of Gustoms,
5. Joint Secretary (Ports)  Min. of Surface Transport.	Representing Ministry of Surface Transport.

15. Shri S.P. Mohile

मारत का राजवनः ग्रसाधारण 1 6. Chief Staff Officer to Flag Officer Commanding Representing Defence Services (Navy). Maharashtra Area. 7. Chief Freight Traffic Superintendent Representing Indian Railways. Central Railway, Bombay, 8. Principal Officer Representing Mercantile Marine Deptt., Bombay. Mercantile Marine Deptt., Bombay. 9. Dr. Shanti G. Patel Representing labour employed in the Port, · 10. Sh. Jaiprakash H. Sawant Representing labour employed in the Port. 11. Managing Director. Representing City & Industrial Development Corpo-City & Industrial Development Corporation of ration of Maharashtra Limited (CIDCO). Maharashtra Limited (CIDCO). 12. Shri Nimesh Shah Representing Bombay Customs House Agents Association, Bombay. 13. Shri Dinesh K. Lal Representing Bombay Chamber of Commerce & Industry. . 14. Shri Vaishnay Puri Bombay-Nhava Sheva Ship Inter-Representing Model Agents Association.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April 1993.

IFile No. PT-18011/1/91—PT] ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

Representing Indian National Shipowners Associa-

#### **अधिपूच**मा

tion (INSA).

### नई दिल्ली, 31 मार्च, 1993

सा.का.नि. 355 (म्र) :- केन्द्र सरकार महापत्तन न्यास मधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उप-धारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए टूटीकोरिन पत्तन के न्यासी मंडल में निम्न-जिखित तालिका में कम सं. 1 से 11 के सम्मख उल्लिखित व्यक्तियों को नियक्त करती है। तथा उक्त तालिका में क्रम सं. 12 से 15 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त बोर्ड में चुने हुए न्यासियों के रूप में ग्रधिसूचित करती है, ग्रथित्ः--

	ं ता	लिका	-
1	2	3	,
1.	<b>म्रध्यक्ष</b>	- the section of the	
2.	उपाध्यक्ष	<del></del>	
3.	सचिव, परिवहून विभाग तामिलनाडु सरकार ।	तमिलनाडु राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व	करने के लिए ।
4.	प्रभागीय रेलवे प्रबन्धक, मदुरई, दक्षिणी रेलवे	भारतीय रेलवे का प्रतिनिधित्व करने के	लिए ।
5:	·उत्र केन्द्रीय उत्पाद <u>एवं सीमा श</u> ृहक सम्मद्दर्ता, टूटीकोरिन ।	सीमा शुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व करने	केलिए।
6.	नौ सेना प्रभारी ग्रधिकारी, मद्रास	रक्षा सेवाओं (नौसेना) का प्रतिनिधित्य	करते के लिए ।
7.	उप वित्तीय सलाहकार, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय	जल भूतल परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधि	ात्व करने के लिए ।
8.	श्री डी.एम. स्टीफन	पत्तन में नियुक्त श्रमिकों का प्रतिनिधित्त्र.	करने के लिए ।

Ltd.

1	2	
9.	श्री एस. मुक्काप्सम	पत्तन में नियुक्त श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
10.	मुख्य अभियंता, टूटीकोरिन थर्मल पावर, टूटीकोरिन	तिमानडु विद्युत बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
	कार्यकारी निदेशक ,सदर्न पेट्रोकेमीकल इडस्ट्रीज कारपोरेशन, लि . श्री सी . स्टेनिस मकेटो	सदर्न पेट्रोकेमीकल इडस्ट्रीज कारपोरेशन लि. का प्रतिनिधित्व करने के लिए । भारतीय राष्ट्रीय जहाज मालिक संघ का प्रतिनिधित्व करने
1 %.		के लिए।
13.	श्री जे.पी. जो विल्लावरधार	टूटीकोरित सेंसिंग वेसस्स ऑनर्स एसो . टूटीकोरिन का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
14	श्री ए. क्रपानिधि	इंडियन चेम्बर ग्राफ कामर्स एड इंडस्ट्री टूटीकोरिन का प्रति निधित्व करने के लिए ।
15	श्री दी. वैलशंकर	टूटीकोरिन स्टीवेडोर्स एसो. का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।

2. यह ग्रधिसूचना 1 ग्रप्रैल, 1993 से लागू होगी।

[फा.सं. पी टी.-18011/2/92-पी.टी.] ग्रशोक जोशी, संयुक्त सचिव

#### NOTIFICATION

New Delhi, 31st March, 1993

G.S.R. 355 (E):—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) read with Sub-Section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial numbers 1 to 11 in the Table below to be Trustees on the Board of Trustees for the Port of Tuticorin and notified the persons mentioned against serial numbers 12 to 15 in the said Table as elected to be Trustees on the said Board, namely:—

TABLE	
1 2	349
1. Chairman	
2. Deputy Chairman	는 사람들에 되었다. 이 회사는 사람들이 있는 전쟁을 받는 것이 되었다. 그리는 • 5번째 1915년 이 사람들이 되었다. 그 사람들이 가장 1915년 이 사람들이 사람들이 있다.
3. Secretary,	Representing State Govt. of Tamilnadu.
Transport Deptt. Govt. of Tamilnadu.	
4. Divisional Railway Manager, Madurai, Southern Railway.	Representing Indian Railways.
5. Deputy Collector of Central Excise and Customs, Turicorin.	Representing Customs Deptt.
6. Naval Officer-in-Charge, Madras.	Representing Defence Services (Navy).
7. Dy. Financial Adviser, Min. of Surface Transport.	Representing Ministry of Surface Transport.
8. Shri D.M. Stephen	Representing labour employed in the Port.
9. Shri S. Arunachalam	Representing labour employed in the Port.
10. Chief Engineer, Tuticorin Thermal Power, Tuticorin.	Representing Tamilnadu Electricity Board (TNEB).
11. Executive Director, Southern Petrochemical Industries Corporation,	Representing Southern Petro-Chemical Industries Corporation Ltd. (SPIC).

1	2	3
12. Shri C. Stains M	lachado	Representing Indian National Shiponwers Association (INSA).
13. Shri J.P. Joe Vil	* ************************************	Representing the Tuticorin Sailing Vessels Owners Association, Tuticorin.
14. Shri A. Kripanid	hi	Representing Indian Chamber of Commerce and Industry, Tuticorin.
15. Shri T. Velsanka	r	Representing Tuticorin Stevedores Association.

[F. No. PT-180011/2/92-PT] ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

# ग्रधिसूचना

# नई दिल्ली, 31 मार्च, 1993

सा.का.नि. 356 (ग्र) :--केन्द्रीय सरकार, महापत्सन न्यास ग्रिधनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित तालिका में क्रम संख्या 1 से 11 के सामने उल्लिखित ब्यक्तियों को नव-मंगलूर पत्तन के न्यासी मंडल में न्यासी नियुक्त करती है तथा उक्त तालिका

में कम संख्या 12 से 13 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त मंडल में चुने गए न्यासियों के रूप में अधिसूचित करती है :--तानिका

1. ग्रध्यक्ष

2. उपाध्यक्ष

3. पत्त्वन का निदेशक ,ग्राई. डब्स्यू. टी , कारवाड़

2

4. अपर अायुक्त सीमा भुल्क नव-मंगलूर

5. नेवल प्रभारी अधिकारी नव-मंगलूर नेवीगेशन एंड डायरेक्शन स्कूल, ग्राई.एन,एस. वेनदूरयी, नेवल वेस कोश्वीन।

6. प्रभागीय रेल प्रबंधक पालघाट दक्षिण रेलवे

7. निदेशक (श्रम) जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

8. श्री लक्ष्मी नारायण राज

9. श्री एन.एम. ग्रद्यान्तया

10. महाप्रबंधक, भारतीय तेल निगम, दक्षिणी क्षेत्र, मद्रास

11. निवेशक (उत्पादन एवं परियोजना ) कुद्रेमुख ग्रायरन और कंपनी लि.

12. श्री झार.बी. नादकरणी

13. श्री सी.के. सोमासुन्दर

कर्नाटक राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए सीमां शुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए रक्षा सेवाओं (नौ सेना) का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

3

भारतीय रेल का प्रतिनिधित्व करने के लिए। जल भूतल परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्त करने के लिए । पत्तन में कार्यरत श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए। पत्तन में कार्यरत श्रीमकों का प्रतिनिधिस्व करने के लिए। भारतीय तेल निगम का प्रतिनिधित्व करने के लिए। कुद्रेमुख ग्रायरन और कंपनी लि. का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

इंडियन नेजनल जिपमर्ज एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

कनारा चैम्बर भ्राफ कामर्स एंड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने केलिए।

<sup>् 2.</sup> यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1993 से प्रभावी होगी।

#### NOTIFICATION

# New Delhi, the 31 March, 1993

O.S. \$356 (Bin In specialist of the powers conferred by Sub-Section (1) seeds with Sub-Section (6) of the Section 3 of the Major Peris Tenists Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial numbers 1 to 11 in the Table below to be Trustees on the Roard of Trustees for the Port of New Mangalore and notified the persons mentioned against serial numbers 12 to 13 in the said Table as elected to be Trustees on the said Board, namely:—

## TABLE

- 1. Chairman
- 2. Deputy Chairman
- 3. Director of Ports, I.W.T., Karwar.
- 4. Additional Collector of Customs, New Manualoro.
- 5. Naval Officer-in-Charge,
  New Mangalore Navigation & Direction
  School, INS Vendurthy, Naval Base,
  Cochin.
- Divisional Railway Manager, Palghat Division, Southern Railway.
- 7. Director (Labour),
  Min. of Surface Transport.
- 8. Sh. Laxmi Narayana Rao
- 9. Sh. N.M. Advantage.
- 10. General Manager, Indian Oil Corporation, Southern Region, Madras.
- 11. Director (Production & Projects),
  Kudremukh Iron Ore Company Ltd.,
  (KJQCI).
- 12. Sh. R.B. Nadkarni
- 13. Sh. C.K. Somasundar

Representing State Government of Karnataka.

Representing Deptt. of Customic

Representing Defence Services (Navy).

Representing Indian Railways.

Representing Ministry of Surface Transport.

Representing labour employed in the Port.

Representing labour employed in the Port.

Representing Indian Oil Corporation (OC)

Representing Kudramukh Iron Ore Company Ltd. (KIOCE).

Representing Indian National Shipowners Association (INSA)

Representing Kanara Chamber of Commerce and Industry.

2. This notification shall come into force on the let day of April, 1903.

[File No. PT-18011/1/92—PT]
ASHOK JOSHI, Jt. Secy.

# ग्रधिसुचना

# नई किल्ली, 31 मार्च, 1993

सा. का. ति. 357(अ): केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उप धारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (ii) के प्रावधानों के अनुसरण में एतद्शारा नव मंगलूर पत्तन के लिए न्यासियों के मंडल में अतिनिधित्व करने के लिए निकाय के नाम में संशोधन करती है तथा भारत सरकार, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की विनांक 28-1-93 की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 37(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अधित्

ंउक्त श्रेष्ठिसूचना की तालिका में क्रम सं. 2 के सामने "कर्नाटक चेम्बर ग्राफ कामर्स एंड इन्डस्ट्री" शब्दों के स्थान पर "कनारा चैम्बर श्राफ कामर्स एंड इन्डस्ट्री" शब्द प्रति-स्थापित किए जाएंगें ।

> [फा. सं. पी टी-18011/1/92 पी टी ] अशोक जोशी, संयुक्त तिचव

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 1993

G.S.R. 357(E).—In pursuanve of provisions of sub-clauses(ii) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Ports Trust Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby amend the name of the Body to represent on the Board of Trustees for the Port of New Mangalore Port and makes the following amendment in the notification of Govt. of India in the Ministry of Surface Transport (parts Wing) G.S.R. 37(E) dated 28-1-1993, namely:—

In the said notification against serial no. 2 in Table for the words "Karnataka Chamber of Commerce and Industry" the words "Kanara Chamber of Commerce and Industry" shall be substituted.

F. No. PT-18011|1|92-PT] **ASHOKE JOSHI**, Jt. Secy.

#### **प्रिध**सूचन ।

# नई दिल्ली, 31 मार्च, 1993

सा. का. नि. 358(भ्र):—केन्द्र सरकार, महापत्तन त्यास ग्रिधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा 6 द्वारा प्रदत्त मक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा विशाखा-पत्तनम पत्तन त्यास के न्यासी मण्डल में "ग्रन्य हितों" का प्रतिनिधित्व करने के लिए (1) श्री एन. वेंकटरमन रेड्डी और (2) श्री डी श्रीनिवास राव को नियुक्त करती है और भारत सरकार, जल-भूतृज़ परिवह्न मंन्नलय (पत्तन पक्ष) के दिनांक 31 मार्च, 1992 की अधिस्वनम संख्या

- सा. का. नि. 391(म्र) में निम्नलिखित और संशोधन करती है।
- 2. उक्त प्रधिसूचमा में क्रम संख्या 17 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्निसिक्त क्रम संख्याएं और प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी ।
  - "18 श्री एन. वेंकटरमन रेड्डी—"ग्रन्य हितों" का प्रतिनिधित्व करने के लिए
  - 19 श्री डी. श्रीनिवास राव-"ग्रन्य हितों" का प्रति-निधित्व करने के लिए"

[फा. सं. पी. टी. 18011/10/91-पी. टी.]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 1993

- G.S.R. 358(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), read with subsection (6) of the said section, the Central Government hereby appoints (1) Shri N. Venkataramana Reddy and (2) Shri D. Srinivas Rao representing other Interests' on the Board of Trustees for the Port of Visakhapatnam and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) No. G.S.R. 391(E) dated 31st March, 1992.
- 2. In the said notification after serial no. 17 and the entry relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted namely:—
  - "18. Shri N. Venkataramana Reddy-Representing 'Other Interests'.
    - 19. Shri D. Srinivas Rao—Representing 'Other Interests'"

IF. No. FT-18011|10|91-PTJ ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

# श्रधिसूचना

1 '

# नई दिल्ली; 31 मार्च, 1993

सा. का. नि. 359(अ):—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा पारादीप पतन के न्यासी मण्डल में भारतीय सेल निगम का प्रतिनिधित्व करने के लिए महाप्रबंधक (ई. आर.), भा. ते. नि. को नियुक्त करती है तथा भारत सरकार, जक्त-भूतक परिवहन मंतालय (पत्तम पक्ष) की दिनांक 31-3-92 की अधिसूचना संख्या

सा. का. नि. 390 (अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्:—

उक्त श्रिष्मित्रवना में क्रम संस्था (12) के सामने "निदेशक (विपणन), भारतीय तेस निगम" शब्दों के स्थान पर "महाप्रबंधक (ई. ग्रार.), भारतीय तेस निगम" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

> [फा. सं. पी. टी.-18011/9/91-मी. टी.] स्रशोक जोशी, संयुक्त सचिव

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 1993

G.S.R. 359(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints General Manager (ER), IOC representing Indian Oil Corporation on the Board of Trustees for the Port of Paradip and makes the following amendment in the Notification of Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) No. G.S.R. 309(E) dated 31-3-1992 namely:—

2. In the said notification against serial no. (12) for the words "Director (Marketing), Indian Oil Corporation" the words "General Manager (ER), Indian Oil Corporation" shall be substituted.

[F. No. PT.18011|9|91-PT]
ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

# प्रधिसुचना

# नई दिल्ली 31 मार्च, 1993

सा, का. नि. 360(अ):—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा कांडला पत्तन न्यासी के मंडल में 'पत्तन में नियुक्त श्रीमकों" का प्रतिनिधित्व करने के लिए (1) श्री मनोहर जी. कोतवाल और (2) श्री एम. के. अथवनी को नियुक्त करती है।

[फा. सं. पी. की.-18011/6/91-पी. टी.] स्रशोक जोशी, संयुक्त सचिव

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 1993

G.S.R. 360(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (6) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints (1) Shri Manohar G. Kotwal and (2) Shri M. K. Aswani representing 'Labour employed in the Port' on the Board of Trustees for the Port of Kandla.

IF. No. PT-18011 6 91-PT]
ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.